न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

जिला जोधपुर कैम्प पिचियाक

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 54 / 2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
किशनाराम पुत्र लादुराम जाति सीरवी निवासी पिचियाक तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति – प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पेरोकार

निर्णय **दिनांक :– 10.11.2021**

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 19.2704 हैक्टेयर स्थित है। जिसकी खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। उपरोक्त खातेदारी भूमि में त्रूटिवश प्रार्थी की जाति सीरवी के बजाय कुम्हार दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी की जाति सीरवी है। प्रार्थी अभी दिनांक 15.09.2021 को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपकी जाति सीरवी लिखी हुई है और जमाबन्दी में आपकी जाति कुम्हार (प्रजापति) लिखी हुई है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और प्रार्थी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड मे अपनी जाति कुम्हार के स्थान पर सीरवी दर्ज करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 5 रकबा 19.2704 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी की जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर खारड़िया (सीरवी)

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

दर्ज की जाती है तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 5 ग्राम पिचियाक की नकल को पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य सबुत के तौर पर जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 105, 504, 753, 753/2, 753/3, 767 ग्राम पिचियाक में दर्ज खातेदार किशनाराम पुत्र लादुराम खारडिया (सीरवी), जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 760, 766, 766/1 ग्राम पिचियाक में दर्ज खातेदार किशनाराम पुत्र लादुराम खारडिया (सीरवी), बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, खाता पासबुक खसरा नम्बर 5 में दर्ज सीरवी जाति के आदि के पेश किये है।

पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। तथा ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 19.2704 हैक्टैयर के राजस्व रेकर्ड में किशनाराम पुत्र लादुराम हिस्सा 1/12 जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर किशनाराम पुत्र लादुराम हिस्सा 1/12 जाति खारडिया (सीरवी) दर्ज की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
एवं उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा सत्यमेव जयते